न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 137/2019

वादीगण		प्रतिवादीगण
1 मोहनलाल 2 गणेश पिसरन करनाराम जाति कुम्हार निवासी नारणोणियों की ढाणी, भाड़खा 3 सीतादेवी पुत्री करनाराम पत्नी चेनाराम जाति कुम्हार निवी तहसील व जिला बाड़मेर।	बनाम	1 करनाराम पुत्र खुशालाराम 2 हरीश पुत्र करनाराम 3 नरसिंगाराम 4 दामोदर 5 चेतनराम पिसरान फकीरा 6 कनको पत्नी फकीरा 7 खीमाराम पुत्र खुशालाराम जाति कुम्हार निवासी नारणोणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर 7 शाखा प्रवन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री भोमाराम सियाग वकील वादीगण।
2. श्री मेघाराम चौधरी वकील प्रतिवादी संख्या 01।
3. श्री हरीराम चौधरी वकील प्रतिवादी संख्या 02।

निर्णय

दिनांक 15.10.19

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 07 स्वर्गीय खुशालाराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 02, प्रतिवादी संख्या 01 के पुत्र होने से विधिक वारिस है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 07 की पैतृक संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा नारणोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 82 रकबा 43.12 बीघा, खसरा संख्या 92 रकबा 73.07 बीघा तथा मौजा भाड़खा पुरोहितान पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 488 रकबा 18.03 बीघा व खसरा संख्या 492 रकबा 32.19 बीघा भूमि आई हुई है जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 07 का कब्जा काश्त है। खुशालाराम की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त भूमि खुशालाराम के विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 व 03 से 07 के नाम दर्ज हुई। वादग्रस्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक का 1/15–1/15 हिस्सा निहित है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 करनाराम के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में 1/15–1/15 हिस्सा खातेदारी का बनता है, जिसे घोषित करवाने की वादीगण अधिकारी है।

वकील प्रतिवादी संख्या 01 की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब एवं राजीनामा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 02 की और से ईकबाली जवाब मय प्रतिदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। उक्त पैतृक भूमि में वाद में अंकित हिस्सा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 का हिस्सा है, जिसे घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 गणेश द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टी की, जिसे सामिल मिसल किया गया।

बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादी का जन्म से हिस्सा

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 करानाराम के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए उपर्युक्तानुसार वादीगण का हिस्सा घोषित किया जावे। वकील प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा बहस के दौरान अवगत करवाया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है तथा वादी प्रतिवादी संख्या 02, प्रतिवादी संख्या 01 करनाराम के जायन्दा पुत्र होने के नाते वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 करनाराम के साथ वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 का जन्म से हिस्सा निहित है, जिसे घोषित करवाने के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 अधिकारी है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा के पक्ष में रहन है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2031 व नामान्तकरण संख्या 128 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादी का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद, प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा, माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा नारणोणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 82 रकबा 43.12 बीघा, खसरा संख्या 92 रकबा 73.07 बीघा तथा मौजा भाड़खा पुरोहितान पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 488 रकबा 18.03 बीघा व खसरा संख्या 492 रकबा 32.19 बीघा भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02 को प्रतिवादी संख्या 01 करनाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक का 1/15–1/15 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 करनाराम का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा में रहन है। **अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें।** शेष खाता बदस्तूर रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 15-10-19 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री

अनवान

वादीगण

1 मोहनलाल 2 गणेश पिसरन करनाराम जाति कुम्हार निवासी नारणोणियों की ढाणी, भाड़खा 3 सीतादेवी पुत्री करनाराम पत्नी चेनाराम जाति कुम्हार निवी तहसील व जिला बाडमेर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1 करनाराम पुत्र खुशालाराम 2 हरीश पुत्र करनाराम 3 नरसिंगाराम 4 दामोदर 5 चेतनराम पिसरान फकीरा 6 कनको पत्नी फकीरा 7 खीमाराम पुत्र खुशालाराम जाति कुम्हार निवासी नारणोणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर 7 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा।

दावा बाबत् 88 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :– 137/2019

निर्णय दिनांक :– 15-10-19

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख .... को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद, प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा, माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा नारणोणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 82 रकबा 43.12 बीघा, खसरा संख्या 92 रकबा 73.07 बीघा तथा मौजा भाड़खा पुरोहितान पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 488 रकबा 18.03 बीघा व खसरा संख्या 492 रकबा 32.19 बीघा भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02 को प्रतिवादी संख्या 01 करनाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक का 1/15–1/15 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 करनाराम का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा में रहन है। अतः **तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें।** शेष खाता बदस्तूर रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख 15-10-19 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(SDO) कलक्टर बाड़मेर

(नीरज मिश्र)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्सप	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2019.12.05 15:08:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: